य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
रेमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10 1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 फरवरी 2009—फाल्गुन 9, शक 1930

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2009

क्र. एफ 8-2009-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 है.

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त समझे जायेंगे.

2. **शासकीय सेवकों के प्रवर्ग जिनको ये नियम लागू होंगे.**—इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंध के सिवाय, ये नियम उन समस्त शासकीय सेवकों को लागू होंगे जो राज्य सरकार के नियम बनाने संबंधी नियंत्रण के अधीन आते हैं:

ये नियम लागू नहीं होंगे:—

(i) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवा योजना में नहीं हैं,

(ii) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है. उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है,

(iii) उन व्यक्तियों पर, जो अनुबन्ध पर कार्य कर रहे हैं.

(iv) उन व्यक्तियों पर जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सरकारी नौकरी में लगाये गये हैं.

(v) अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों में वेतन पाने वाले व्यक्ति,

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति; और

(vii) उन किसी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हें मध्यप्रदेश के राज्यपाल, आदेश द्वारा, सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित करते हों.

स्पष्टीकरण.—खण्ड (V) के प्रयोजन के लिए पुनः नियोजित पेंशनभोगी के अन्तर्गत वे पुनः नियोजित नहीं आएंगे जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और ऐसे सैनिक पेंशनभोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य सरकार के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं.

3. परिभाषायें.—इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1. "मौजूदा मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित मूल वेतनमान में आहरित किया जाता है परन्तु इसमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है.

2. शासकीय कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो शासकीय कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी 2006 को वास्तविक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो, वैयक्तिक वेतनमान) पर लागू हो.

स्पष्टीकरण.—किसी शासकीय कर्मचारी के मामले में जो 01 जनवरी, 2006 को विदेश में प्रतिनियुक्ति अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेवा में था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुये भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतनमान" में किसी पद के लिए ग्राह्य वेतनमान जो उसने राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुये भी विदेश सेवा में होते हुये अथवा, जैसा भी मामला हो, धारित किया होता, शामिल होगा.

3. "मौजूदा परिलब्धियों" से आशय है—

(क) 31 मार्च, 2007 तक,

(i) मौजूदा मूल वेतन, एवं (ii) मूल वेतन पर देय महँगाई भत्ता का योग.

(ख) 1 अप्रैल, 2007 से

(i) मौजूदा मूल वेतन (ii) मूल वेतन पर 50% महँगाई वेतन, एवं (iii) मूल वेतन तथा महँगाई वेतन पर, तत्समय देय महँगाई भत्ता का योग.

4. "प्रकलित परिलब्धियाँ" से आशय है मौजूदा मूल वेतन का 1.86 गुना.

5. "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख प्रथम अनुसूची के कालम (2) में किया गया है.

6. "वेतन बैंड में वेतन" का तात्पर्य प्रथम अनुसूची के कालम (4) में दिये गये संगत वेतन बैंडों में आहरित वेतन.

बशर्ते कि.—

(i) उस मामले में जब शासकीय कर्मचारी इस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में राज्य से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के राज्य में आने और यहां का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अन्दर लिखित रूप से पहुँच जाए, तथा

(ii) जहां कोई शासकीय कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को निलंबित हो तो ऐसे में उसके काम पर लौटने की तारीख इस नियम के प्रकाशित होने के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है.

(2) विकल्प की सूचना - शासकीय कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी.

(3) अगर शासकीय कर्मचारी का लिखित विकल्प उपनियम (1) के अनुसार निर्धारित तारीख के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नये संशोधित वेतन ढांचे द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार वेतन दिया जायेगा.

(4) एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा.

नोट.—(1) जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिये जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा सेवा मुक्ति अथवा अनुशासनहीनता के कारणों से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी इन नियम के लाभों का अधिकार होगा.

नोट.—(2) जो लोग 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढांचे के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों को लाभप्रद लगे, उन्होंने नये वेतनमान का चयन कर लिया है. अगर संशोधित वेतन ढांचे उनके हक में हैं तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी.

नोट.—(3) ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी, 2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी की हकदार बनाता है, पर हैं, उन्हें छुट्टी की अवधि के लिये इस नियम के लाभ मिलेंगे.

7. **संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण.**—(1) कोई शासकीय कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 2006 को और उसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के उपनियम (3) के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या निलंबित होने की स्थिति में यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राज्यपाल के विशेष नियम या निर्देश ना हों, उसका आरम्भिक वेतन अलग से निर्धारित किया जायेगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जायेगा.

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में:—

(i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान मौजूदा परिलब्धियों अथवा परिकल्पित परिलब्धियों इनमें जो भी अधिक हो, की राशि को 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित करके किया जायेगा.

(ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा.

7. "ग्रेड वेतन" मौजूदा वेतनमानों के अनुरूप पहली अनुसूची के कालम (5) में नियत देय राशि.

8. प्रथम अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित किसी भी वेतनमान के संबंध में "संशोधित वेतनमान ढांचे" का तात्पर्य उसके कालम (4) तथा (5) में निर्दिष्ट वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से है.

9. संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड में वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन को जोड़कर आहरित किया जाता है, परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है.

10. "संशोधित परिलब्धियों" का अर्थ संशोधित वेतनमान में शासकीय कर्मचारी के मूल वेतन से है.

11. "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है.

4. संशोधित वेतनमान.—प्रथम अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित प्रत्येक वेतनमान के लिए यथा लागू वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन जिसका उल्लेख उसके कालम (4) तथा (5) के सामने किया गया है, संशोधित वेतनमान होंगे.

5. संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का आहरण.—प्रत्येक शासकीय कर्मचारी उसके नियुक्त पद पर लागू संशोधित वेतन ढांचे में अपना वेतन प्राप्त करेगा.

बशर्ते कि कोई शासकीय कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक, अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक मौजूदा वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है.

इसके अलावा यह भी शर्त है कि ऐसे मामलों में जहां शासकीय कर्मचारी को दिनांक 1 जनवरी, 2006 तथा पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन (क्रमोन्नति/समयमान वेतन) आदि के कारण बनाये गये इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वह सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन (क्रमोन्नति/समयमान वेतन) आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प चुन सकता है.

स्पष्टीकरण (1).—इस नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा.

स्पष्टीकरण (2).—ऊपर दिया गया विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह शासकीय सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित होकर आया हो, उसे केवल संशोधित वेतन ढांचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी.

स्पष्टीकरण (3).—जहाँ कोई शासकीय कर्मचारी मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूल वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता या निलंबित न किये जाने तक धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की तरह वह अर्जित करता.

6. विकल्प का चयन.—

(1) नियम 5 के उपबंध के अन्तर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उपनियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इन नियम के प्रकाशित होने की तारीख से 3 माह के अन्दर पहुँच जाने चाहिये अथवा जहाँ वर्तमान वेतनमान निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की सूचना के प्रकाशन के 3 माह बाद तक पहुँचना मान्य होगा.

...es/KOTO/OrgUser/Admitcard.aspx?langid=en-US 12/8/2008

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि :—

वेतन निर्धारण में जहां कहीं शासकीय कर्मचारियों का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है, अर्थात् अन्यथा कहें तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके. इस प्रयोजन के लिए वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जायेगी. बंचिंग को कम करने के लिए वेतन वृद्धियां देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा.

उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी शासकीय कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान (जहां लागू हो) की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि आगली उच्च अवस्था अतवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जायेगा जहां तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो.

(iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा. वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा.

नोट.—उपर्युक्त पर उदाहरण 1 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है.

(ख) उन कर्मचारियों, जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उपखण्ड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा.

टिप्पणी.—1. यदि कोई शासकीय कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो और वह छुट्टी का वेतन लेने का हकदार हो तो वह 1 जनवरी, 2006 से अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा. इसी प्रकार यदि कोई शासकीय कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को अध्ययनार्थ छुट्टी पर हो तो वह [illegible] जनवरी, 2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार रहेगा.

टिप्पणी.—2. निलंबित शासकीय कर्मचारी मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिये जाने के अधीन होगा.

टिप्पणी.—3. जब कोई शासकीय कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उपनियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जायेगा.

इस नोट के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो कि विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशोधित वेतन संरचना वाले स्थानापन्न पद पर कार्यरत है.

टिप्पणी.—4. यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी.

टिप्पणी.—5. जहां उपनियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरन्त पहले समान केडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जायेगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो.

टिप्पणी.—6. जहां कोई शासकीय कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में उस शासकीय कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी.

टिप्पणी.—7. ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ शासकीय कर्मचारी की 1 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है, तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शासकीय कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिये जा रहे वेतन बैंड में वेतन के बराबर कर दिया जाये. यह वृद्धि कनिष्ठ शासकीय कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जायेगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात् :—

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ शासकीय कर्मचारियों का एक ही केडर का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुये हैं वह केडर में समान पद होने चाहिये.

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, समान होने चाहिये.

(ग) वरिष्ठ शासकीय कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों.

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिये. यदि कनिष्ठ पद पर कोई भी कनिष्ठ अधिकारी संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस नोट के प्रावधानों को लागू करते हुये वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है.

(2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उपनियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन स्थायी पद में नियत किये गये वेतन से कम है तो पूर्व को स्थायी वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जायेगा.

8. **संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि.**—संशोधित वेतन ढांचे में वतेन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 3 प्रतिशत होगी, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा. वेतन वृद्धि की राशि वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी. इस संबंध में उदाहरण 2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है.

9. **संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतन वृद्धि की तारीख.**—वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई होगी. 1 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक पूरा करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे. संशोधित वेतन संरचना में 1 जनवरी, 2006 को वेतन संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारण के पश्चात् पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2006 और 31 दिसम्बर, 2006 के बीच होगी.

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतन वृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 1 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहे थे. उसके बाद उन पर नियम 9 की शर्त लागू होगी.

बशर्ते कि उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाल दिया जायेगा. उच्चतर वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा. उसके

दूसरी अनुसूची
विकल्प का प्रपत्र
(नियम 6 देखें)

* (i) मैं . . . . दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ।

* (ii) मैं . . . . मेरा मूल / स्थानापन्न पद नीचे दिए गए के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता / करती हूँ जब तक कि :—

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक

* मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन . . . . रुपये हो जाए।

* मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूं / छोड़ दूं।

मौजूदा वेतनमान . . . .

हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पदनाम . . . .

कार्यरत कार्यालय का नाम . . . .

दिनांक . . . .

स्थान . . . .

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।

पहली अनुसूची "1"
(नियम 3 और 4 देखें)

विद्यमान वेतनमानों हेतु पुनरीक्षित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन

(रुपयों में)

स.क्र.	वर्तमान वेतन संरचना	संशोधित वेतन संरचना		
	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550—55—2660—60—3200	1 एस	4440—7440	1300
2	2610—60—3150—65—3540	1 एस	4440—7440	1400
3	2750—70—3800—75—4400	वेतन बैंड-1	5200—20200	1800
4	3050—75—3950—80—4590	वेतन बैंड-1	5200—20200	1900
5	3500—80—4700—100—5200	वेतन बैंड-1	5200—20200	2100
6	4000—100—6000	वेतन बैंड-1	5200—20200	2100
7	4500—125—7000	वेतन बैंड-1	5200—20200	[illegible]
8	5000—150—8000	वेतन बैंड-2	9300—34800	[illegible]

	(2)	(3)	(4)	(5)
	5500—175—9000	वेतन बैंड-2	9300—34800	3600
	6500—200—9100	वेतन बैंड-2	9300—34800	4200
	6500—200—10500	वेतन बैंड-2	9300—34800	4200
	8000—275—13500	वेतन बैंड-3	15600—39100	5400
1	10000—325—15200	वेतन बैंड-3	15600—39100	6600
1	10650—325—15850	वेतन बैंड-3	15600—39100	6600
	12000—375—16500	वेतन बैंड-3	15600—39100	7600
6	14300—400—18300	वेतन बैंड-4	37400—67000	8700
17	16400—450—20000	वेतन बैंड-4	37400—67000	8900
18	18400—500—22400	वेतन बैंड-4	37400—67000	10000

हस्ता./-
(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

उदाहरण 1.—संशोधित वेतन ढांचे में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण :—

1.	मौजूदा वेतनमान	4000—100—6000 रुपये
2.	लागू वेतन बैंड	5200—20200 रुपये (वेतन बैंड 1)
3.	01-01-2006 को मौजूदा मूल वेतन	4800 रुपये
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रुपये (8930 रुपये में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	8930 रुपये
6.	बंचिंग यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन.	8930 रुपये
7.	वेतनमान से सम्बद्ध ग्रेड वेतन	2400 रुपये
8.	संशोधित मूलवेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़.	11330 रुपये

उदाहरण 2.—संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण :—

1.	वेतन बैंड 2 में वेतन	9300 रुपये
2.	ग्रेड वेतन	4200 रुपये
3.	वेतन + ग्रेड वेतन का योग	13500 रुपये.
4.	वेतनवृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5.	वेतनवृद्धि की राशि	405 रुपये 410 रुपये पूर्णांकित
6.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	9300 + 410 रुपये
7.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन	9710 रुपये
8.	लागू ग्रेड वेतन	4200 रुपये

मुद्रक: शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

तालिका – 16			
मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.14300-400-18300		PB-4 Rs 37400-67000 + Rs. 8700	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
14300	37400	8700	46100
14700	37400	8700	46100
15100	38530	8700	47230
15500	38530	8700	47230
15900	39690	8700	48390
16300	39690	8700	48390
16700	40890	8700	49590
17100	40890	8700	49590
17500	42120	8700	50820
17900	42120	8700	50820
18300	43390	8700	52090

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका — 1

मौजूदा वेतनगान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.12000-375-16500		PB-3 Rs.15600-39100 +Rs. 7600	
	पुनरीक्षित वेतन		
मौजूदा वेतनगान में मूल वेतन	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
12000	22320	7600	29920
12375	23020	7600	30620
12750	23720	7600	31320
13125	24420	7600	32020
13500	25110	7600	32710
13875	25810	7600	33410
14250	26510	7600	34110
14625	27210	7600	34810
15000	27900	7600	35500
15375	28600	7600	36200
15750	29300	7600	36900
16125	30000	7600	37600
16500	30690	7600	38290

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 14			
मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.10650-325-15850		PB-3 Rs.15600-39100 + Rs. 6600	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
10650	19810	6600	26410
10975	20420	6600	27020
11300	21020	6600	27620
11625	21630	6600	28230
11950	22230	6600	28830
12275	22840	6600	29440
12600	23440	6600	30040
12925	24050	6600	30650
13250	24650	6600	31250
13575	25250	6600	31850
13900	25860	6600	32460
14225	26460	6600	33060
14550	27070	6600	33670
14875	27670	6600	34270
15200	28280	6600	34880
15525	28880	6600	35480
15850	29490	6600	36090

(विजयलक्ष्मी बारसकर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 13

मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.10000-325-15200		PB-3 Rs.15600-39100 + Rs. 6600	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
10000	18600	6600	25200
10325	19210	6600	25810
10650	19810	6600	26410
10975	20420	6600	27020
11300	21020	6600	27620
11625	21630	6600	28230
11950	22230	6600	28830
12275	22840	6600	29440
12600	23440	6600	30040
12925	24050	6600	30650
13250	24650	6600	31250
13575	25250	6600	31850
13900	25860	6600	32460
14225	26460	6600	33060
14550	27070	6600	33670
14875	27670	6600	34270
15200	28280	6600	34880

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 12

मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.8000-275-13500		PB-3- Rs15600-39100 + Rs. 5400	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे-बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
8000	15600	5400	21000
8275	15600	5400	21000
8550	15910	5400	21310
8825	16420	5400	21820
9100	16930	5400	22330
9375	17440	5400	22840
9650	17950	5400	23350
9925	18470	5400	23870
10200	18980	5400	24380
10475	19490	5400	24890
10750	20000	5400	25400
11025	20510	5400	25910
11300	21020	5400	26420
11575	21530	5400	26930
11850	22050	5400	27450
12125	22560	5400	27960
12400	23070	5400	28470
12675	23580	5400	28980
12950	24090	5400	29490
13225	24600	5400	30000
13500	25110	5400	30510

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 11

विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.6500-200-10500		PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 4200	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
6500	12090	4200	16290
6700	12470	4200	16670
6900	12840	4200	17040
7100	13210	4200	17410
7300	13580	4200	17780
7500	13950	4200	18150
7700	14330	4200	18530
7900	14700	4200	18900
8100	15070	4200	19270
8300	15440	4200	19640
8500	15810	4200	20010
8700	16190	4200	20390
8900	16560	4200	20760
9100	16930	4200	21130
9300	17300	4200	21500
9500	17670	4200	21870
9700	18050	4200	22250
9900	18420	4200	22620
10100	18790	4200	22990
10300	19160	4200	23360
10500	19530	4200	23730

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 8

विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.5500-175-9000		PB-2 Rs.9300-34800 + Rs. 3600	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
5500	10230	3600	13830
5675	10560	3600	14160
5850	10890	3600	14490
6025	11210	3600	14810
6200	11540	3600	15140
6375	11860	3600	15460
6550	12190	3600	15790
6725	12510	3600	16110
6900	12840	3600	16440
7075	13160	3600	16760
7250	13490	3600	17090
7425	13820	3600	17420
7600	14140	3600	17740
7775	14470	3600	18070
7950	14790	3600	18390
8125	15120	3600	18720
8300	15440	3600	19040
8475	15770	3600	19370
8650	16090	3600	19690
8825	16420	3600	20020
9000	16740	3600	20340

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका — 10			
विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.6500-200-9100		PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 4200	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
6500	12090	4200	16290
6700	12470	4200	16670
6900	12840	4200	17040
7100	13210	4200	17410
7300	13580	4200	17780
7500	13950	4200	18150
7700	14330	4200	18530
7900	14700	4200	18900
8100	15070	4200	19270
8300	15440	4200	19640
8500	15810	4200	20010
8700	16190	4200	20390
8900	16560	4200	20760
9100	16930	4200	21130

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 7			
विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.4500-125-7000		PB-1 Rs.5200-20200+ Rs.2800	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
4500	8370	2800	11170
4625	8610	2800	11410
4750	8840	2800	11640
4875	9070	2800	11870
5000	9300	2800	12100
5125	9540	2800	12340
5250	9770	2800	12570
5375	10000	2800	12800
5500	10230	2800	13030
5625	10470	2800	13270
5750	10700	2800	13500
5875	10930	2800	13730
6000	11160	2800	13960
6125	11400	2800	14200
6250	11630	2800	14430
6375	11860	2800	14660
6500	12090	2800	14890
6625	12330	2800	15130
6750	12560	2800	15360
6875	12790	2800	15590
7000	13020	2800	15820
7125	13260	2800	16060
7250	13490	2800	16290
7375	13720	2800	16520
7500	13950	2800	16750

(विजयलक्ष्मी नारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 6			
विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.4000-100-6000		PB-1 Rs.5200-20200 Rs.+ 2400	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
4000	7440	2400	9840
4100	7630	2400	10030
4200	7820	2400	10220
4300	8000	2400	10400
4400	8190	2400	10590
4500	8370	2400	10770
4600	8560	2400	10960
4700	8750	2400	11150
4800	8930	2400	11330
4900	9120	2400	11520
5000	9300	2400	11700
5100	9490	2400	11890
5200	9680	2400	12080
5300	9860	2400	12260
5400	10050	2400	12450
5500	10230	2400	12630
5600	10420	2400	12820
5700	10610	2400	13010
5800	10790	2400	13190
5900	10980	2400	13380
6000	11160	2400	13560

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 6			
विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.3500-80-4700-100-5200		PB-1 Rs.5200-20200 + Rs. 2100	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
3500	6510	2100	8610
3580	6660	2100	8760
3660	6810	2100	8910
3740	6960	2100	9060
3820	7110	2100	9210
3900	7260	2100	9360
3980	7410	2100	9510
4060	7560	2100	9660
4140	7700	2100	9800
4220	7850	2100	9950
4300	8000	2100	10100
4380	8150	2100	10250
4460	8300	2100	10400
4540	8450	2100	10550
4620	8600	2100	10700
4700	8750	2100	10850
4800	8930	2100	11030
4900	9120	2100	11220
5000	9300	2100	11400
5100	9490	2100	11590
5200	9680	2100	11780

(विजयलक्ष्मी नारसकर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 4			
विद्यमान वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.3050-75-3950-80-4590		PB-1 Rs.5200-20200 +Rs.1900	
	पुनरीक्षित वेतन		
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
3050	5680	1900	7580
3125	5820	1900	7720
3200	5960	1900	7860
3275	6100	1900	8000
3350	6240	1900	8140
3425	6380	1900	8280
3500	6510	1900	8410
3575	6650	1900	8550
3650	6790	1900	8690
3725	6930	1900	8830
3800	7070	1900	8970
3875	7210	1900	9110
3950	7350	1900	9250
4030	7500	1900	9400
4110	7650	1900	9550
4190	7800	1900	9700
4270	7950	1900	9850
4350	8100	1900	10000
4430	8240	1900	10140
4510	8390	1900	10290
4590	8540	1900	10440

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 3			
मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.2750-70-3800-75-4400		PB-1 Rs5200-20200 + Rs. 1800	
	पुनरीक्षित वेतन		
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
2750	5200	1800	7000
2820	5250	1800	7050
2890	5380	1800	7180
2960	5510	1800	7310
3030	5640	1800	7440
3100	5770	1800	7570
3170	5900	1800	7700
3240	6030	1800	7830
3310	6160	1800	7960
3380	6290	1800	8090
3450	6420	1800	8220
3520	6550	1800	8350
3590	6680	1800	8480
3660	6810	1800	8610
3730	6940	1800	8740
3800	7070	1800	8870
3875	7210	1800	9010
3950	7350	1800	9150
4025	7490	1800	9290
4100	7630	1800	9430
4175	7770	1800	9570
4250	7910	1800	9710
4325	8050	1800	9850
4400	8190	1800	9990

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 2			
मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.2610-60-3150-65-3540		1S Rs 4440-7440 + Rs. 1400	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे–बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
2610	4860	1400	6260
2670	4970	1400	6370
2730	5080	1400	6480
2790	5190	1400	6590
2850	5310	1400	6710
2910	5420	1400	6820
2970	5530	1400	6930
3030	5640	1400	7040
3090	5750	1400	7150
3150	5860	1400	7260
3215	5980	1400	7380
3280	6110	1400	7510
3345	6230	1400	7630
3410	6350	1400	7750
3475	6470	1400	7870
3540	6590	1400	7990

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

तालिका – 1

मौजूदा वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे	
Rs.2550-55-2660-60-3200		1S Rs 4440-7440 + Rs.1300	
मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतन		
	पे-बैंड में वेतन	ग्रेड पे	पुनरीक्षित मूल वेतन
2550	4750	1300	6050
2605	4850	1300	6150
2660	4950	1300	6250
2720	5060	1300	6360
2780	5180	1300	6480
2840	5290	1300	6590
2900	5400	1300	6700
2960	5510	1300	6810
3020	5620	1300	6920
3080	5730	1300	7030
3140	5840	1300	7140
3200	5960	1300	7260

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

Annex-6,1

उदाह॰ । 1- संशोधित वेतन ढांचे में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	4000-100-6000 रूपये
2.	लागू वेतन बैंड	5200-20200 रूपये (वेतन बैंड 1)
3.	01-01-2006 को मौजूदा मूल वेतन	4800 रूपये
4.	1.86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रूपये (8930 रूपये में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड में वेतन	8930 रूपये
6.	बंचिंग यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रूपये
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2400 रूपये
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	11330 रूपये

उदाहरण 2 : संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1.	वेतन बैंड 2 में वेतन	9300 रूपये
2.	ग्रेड वेतन	4200 रूपये
3.	वेतन +ग्रेड वेतन का योग	13500 रूपये
4.	वेतनवृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5.	वेतनवृद्धि की राशि	405 रूपये 410 रूपये पूर्णांकित
6.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	9300 + 410 रूपये
7.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन	9710 रूपये
8.	लागू ग्रेड वेतन	4200 रूपये

पहली अनुसूची . "1"

(नियम 3 और 4 देखें)

विद्यमान वेतनमानों हेतु पुनरीक्षित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन

(रूपयों में)

स क्र	वर्तमान वेतन संरचना मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतन संरचना वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	 सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	 सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2550-55-2660-60-3200	1एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	1एस	4440-7440	1400
3	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड -1	5200-20200	1800
4	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड -1	5200-20200	1900
5	3500-80-4700-100-5200	वेतन बैंड -1	5200-20200	2100
6	4000-100-6000	वेतन बैंड -1	5200-20200	2400
7	4500-125-7000	वेतन बैंड -1	5200-20200	2800
8	5000-150-8000	वेतन बैंड -2	9300-34800	3200
9	5500-175-9000	वेतन बैंड -2	9300-34800	3600
10	6500-200-9100	वेतन बैंड -2	9300-34800	4200
11	6500-200-10500	वेतन बैंड -2	9300-34800	4200
12	8000-275-13500	वेतन बैंड -3	15600-39100	5400
13	10000-325-15200	वेतन बैंड -3	15600-39100	6600
14	10650-325-15850	वेतन बैंड -3	15600-39100	6600
15	12000-375-16500	वेतन बैंड 3	15600-39100	7600
16	14300-400-18300	वेतन बैंड -4	37400-67000	8700
17	16400-450-20000	वेतन बैंड -4	37400-67000	8900
18	18400-500-22400	वेतन बैंड -4	37400-67000	10000

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

दूसरी अनुसूची

विकल्प का प्ररूप
(नियम 6 देखें)

*(i)मैं---दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ ।

*(ii) मैं---मेरा मूल/स्थानापत्र पद नीचे दिए गए के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ जब तक कि:-

*मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक
*मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन
-------------------------------------रूपये हो जाए ।

*मैं, मोजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूं/छोड़ दूं ।

मौजूदा वेतनमान --------------------------

हस्ताक्षर----------------------
नाम-------------------------
पदनाम----------------------
कार्यरत कार्यालय का नाम--------

दिनांक---------------------
स्थान-----------------------

*यदि लागू न हो तो काट दिया जाए

प्रपत्र–दो

विषय– दिनांक 1–1–2006 से 28–2–2009 के मध्य संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति, क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान दिये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प ।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक ....दिनांक..................................द्वारा पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप संशोधित वेतन ढांचे में उच्च ग्रेड में वेतन निर्धारण के लिये निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत :–

(क) संशोधित वेतन ढांचे में निचले ग्रेड में वेतनवृद्धि (1 जुलाई) प्राप्त कर लेने के बाद उच्च ग्रेड में मेरा प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया जाए ।

अथवा

(ख) पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने की दिनांक को संशोधित वेतन ढांचे में उच्च ग्रेड में मेरा वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया जाए ।

हस्ताक्षर...
नाम: ....
पदनाम...
विभाग...

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख
पदमुद्रा सहित